



रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./बालोतरा/PH-84/2769-2772

दिनांक: 05.01.2026

मैसर्स ज्वाला मैया ट्रेडर्स (प्रो. श्री बाबू लाल),
निम्बल सिणधरी चारणान,
तहसील – सिणधरी, जिला – बालोतरा
ई-मेल : blalsoni1588@gmail.com

विषय:- मैसर्स ज्वाला मैया ट्रेडर्स, प्लॉट नम्बर – 217, खनन क्षेत्रफल – 59.0 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता– 1,99,125 टी.पी.ए., द्वारा ग्राम – सढा, तहसील – सिणधरी, जिला – बालोतरा में प्रस्तावित बजरी खनन क्लस्टर परियोजना, कुल खनन क्षेत्रफल – 505.4841 हैक्टेयर, कुल खनन क्लस्टर उत्पादन क्षमता 27,02,258.1 टी.पी.ए., के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई बाबत।
प्रसंग:- जिला कलक्टर महोदय, बालोतरा का पत्रांक 58 दिनांक 02.01.2026.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपकी इकाई की पर्यावरणीय स्वीकृति की जनसुनवाई से सम्बंधित विज्ञापन इस पत्र के साथ संलग्न है, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर (सभी संस्करण) तथा एक दैनिक क्षेत्रीय स्तर (हिन्दी संस्करण) में दिनांक 06.01.2026 तक प्रकाशित करावें तथा सभी अखबारों की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करावे ताकि जन सुनवाई का आयोजन दिनांक 05.02.2026 को प्रातः 11:00 बजे से ग्राम पंचायत भवन सढा, तहसील – सिणधरी, जिला – बालोतरा में करवाया जा सके।

साथ ही आपसे निवेदन है कि विज्ञापन में वर्णित सभी कार्यालयों में ई.आई.ए. रिपोर्ट्स तथा कार्यकारी सार की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतियां जमा करवायें तथा प्रमाण के साथ इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(दीपक तँवर)
वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को सादर सूचनार्थ।
2. जिला कलक्टर महोदय, बालोतरा को सादर सूचनार्थ।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अवलोकनार्थ उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित।

वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता
Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Tanwar
Designation : Senior Environmental Engineer
Date: 2026.01.05 11:52:02 IST
Reason: Approved





रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./बालोतरा/PH-84/2769-2772

दिनांक: 05.01.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ज्वाला मैया ट्रेडर्स (प्रो. श्री बाबू लाल), प्लॉट नम्बर - 217, खनन क्षेत्रफल - 59.0 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता- 1,99,125 टी.पी.ए., द्वारा ग्राम - सढा, तहसील - सिणधरी, जिला - बालोतरा में प्रस्तावित बजरी खनन क्लस्टर परियोजना, कुल क्लस्टर खनन क्षेत्रफल - 505.4841 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर खनन उत्पादन क्षमता 27,02,258.1 टी.पी.ए., के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।
2. और चूंकि मैसर्स ज्वाला मैया ट्रेडर्स को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त बजरी खनन क्लस्टर परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है।
3. और चूंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चूंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं:-

1. जिला कलेक्टर कार्यालय, बालोतरा।
2. जिला परिषद कार्यालय, बालोतरा।
3. जिला उद्योग केन्द्र, बालोतरा।
4. उपखण्ड कार्यालय, सिणधरी।
5. तहसील कार्यालय, सिणधरी।
6. ग्राम पंचायत भवन, सढा, तहसील - सिणधरी, जिला - बालोतरा।
7. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा।
8. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, राजस्थान।
10. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ए-209 व 218, अरण्य भवन, महात्मा गाँधी रोड़, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को प्रातः 11:00 बजे से ग्राम पंचायत भवन, सढा, तहसील - सिणधरी, जिला-बालोतरा में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जनसुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बालोतरा में दिये जा सकते हैं।

(दीपक तँवर)
वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता
एवं क्षेत्रीय अधिकारी